न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 03/2022

दायर दिनांकः 03.01.2022

निर्णय दिनांक 03.10.2025

–:अनवानः–

राज्य सरकार जरिये श्री जितेन्द्र कुमार पुलिस उप अधीक्षक वृत नाथद्वारा जिला राजसमन्द – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. श्री इन्द्रसिंह पिता अमरसिंह मोजावत राजपुत निवासी सिलाया माण्डक का गुडा पुलिस थाना देलवाड़ा जिला राजसमन्द
2. श्री अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत निवासी प्रेमपुरा पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द – **अप्रार्थी**

थाना हाजा के प्रकरण संख्या 98/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420, 285 भादस मे जब्त शुदा तरल पेट्रोलियम व लोहे की टंकी मे लगी मय नोजल, पिकअप का निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपस्थितः–

1– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री प्रकाश बंजारा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।(एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2021 प्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार पिता भैरूलाल जी ऑचलिया उम्र 50 साल निवासी पिण्ड पुलिस थाना बडी सादडी जिला चितौडगढ हाल पुलिस उप अधीक्षक वृत्त नाथद्वारा जिला राजसमन्द ने उपस्थित थाना हो एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि ईमरोजा दिनांक 02.11.2021 को मन् वृताधिकारी को श्री उदयलाल उप निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना देलवाडा ने जरिये मोबाईल बताया की दिनांक 01–02.11.2021 की रात्री को थाने से रवाना हो गस्त कस्बा देलवाडा, नेगडिया करता हुआ घोडाघाटी पुलिया के नीचे पहुंचा की जरिये मोबाईल हैड कानि. श्री दानिश नं. 14 ए.टी.एस. उदयपुर ने बताया की नेगडिया में होटल के पिछे एक पिकअप गाडी खडी है जिनमें केमिकल जैसा दिखने वाला तरल पदार्थ भरा है वगैरा सूचना पर मन् एसएचओ मय जाप्ता नेगडिया बस स्टेण्ड पंजाब हिमाचल ढाबा के पीछे पहुंचा जहां उक्त हैड कानि. मय जाप्ता उपस्थित मिला व पास में ही एक पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 खडी थी जिनके अन्दर लोहे के टेंक हो उसके अन्दर तरल पदार्थ कैमिकल जैसा भरा होने का अन्देशा होने व संदिग्ध होने से व आसपास कोई नही होने से हमरा ले हाजिर थाना आया व उक्त वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित खडी करवाया। सूचना जिला रसद अधिकारी को दी गई। वगैरा सूचना पर मन् वृताधिकारी वृत नाथद्वारा बाद वीआईपी कानून व्यवस्था ड्युटी के नाथद्वारा कार्यालय से रवाना हो थाना देलवाडा पहुंचा जहां श्री लोकेश पुत्र श्री मनोहरलाल जोशी जाति जोशी उम्र 33 साल पैशा नौकरी निवासी 142, रूपनगर हिरण मगरी सेक्टर नं. 03 उदयपुर पुलिस थाना हिरण मगरी जिला उदयपुर हाल प्रर्वतन निरीक्षक राजसमन्द जिला राजसमन्द एवं श्री जीवनसिंह पुत्र श्री

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

08-02-22

भवरसिंह जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी मुणवास पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर हाल महाराणा प्रताप फिलिंग स्टेशन नेगडिया पुलिस थाना देलवाडा जिला राजसमन्द उपस्थित मिले। थाना परिसर में थानाधिकारी श्री उदयलाल द्वारा लाये गये वाहन पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 को चैक किया तो पिकअप के अन्दर एक बडी लोहे की टंकी रखी हुई हो टंकी में एक नोजल व इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होना पाया गया। पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 के अन्दर रखे लोहे के टंकी के लगे ढक्कन को खोलकर देखा तो टंकी के अन्दर पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त तरल पदार्थ को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा देखने व सूघने व परखने पर डीजल/पेट्रोल जैसा कंट्रोलियम अत्यन्त ही ज्वलनशील तरल पदार्थ भरा होना पाया गया। थाना परिसर देलवाडा पर उपस्थित श्री लोकेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक, डीएसओ राजसमन्द द्वारा भी उक्त तरल पदार्थ को निकालकर सुघने, देखने व छुने पर चिकनाई युक्त डीजल/पेट्रोल जैसा पेट्रोलियम तरल पदार्थ होना बताया। श्री लोकेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक, डीएसओ राजसमन्द द्वारा पेट्रोलियम तरल पदार्थ की उपकरणों से जांच की तो मीटर रिडिग 834, टेम्परेचर 24 डिग्री सेन्टीग्रेड व डेनसिटी 840.2 होना बताया। अतः उक्त पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 में रखे लोहे की टंकी में भरा डीजल/पेट्रोल जैसा पेट्रोलियम अत्यन्त ही ज्वलनशील तरल पदार्थ होने से अज्ञात व्यक्ति का उक्त कृत्य आवश्यक 3/7 वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420, 285 भादस का उल्लघन पाया जाने से लोह की टंकी में भरे तरल पेट्रोलियम पदार्थ को लोहे के टंकी में लगे इलेक्ट्रोनिक नोजल से दुसरे 500–500 लीटर के 04 टंकीयों में खाली कर माप किया तो कुल 1700 लीटर तरल पदार्थ होना पाया गया। नाप करने के बाद टंकीयों को उसी पिकअप में रखे लोहे की टंकी में पुनः खाली कर मय पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 मय उसमें रखी लोहे की टंकी मय टंकी से जुडे हुए पाईप इलेक्ट्रोनिक मीटर नोजल व टंकी में भरे तरल पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त कर टंकी के चिट चस्पा किया जाकर जप्ती की कार्यवाही की गई तथा सेम्पल की कार्यवाही पृथक से जरिए फर्द मुर्तिब की गई। इस तरह अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमान्य वाहन ईधन तरल पदार्थ को ईधन के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु संग्रहण/विक्रय करना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420, 285 भादस का दण्डनीय अपराध होने से बाद कार्यवाही के जब्तशुदा पेट्रोलियम तरल पदार्थ पिकअप वाहन तथा लिये गये सेम्पल के प्रकरण पंजीबद्ध हेतु रिपोर्ट पेश है। वगैरा मजमुन रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420, 285 भादस. का वकुवा में आना पाया जाने से प्रकरण संख्या 98/21 जुर्म धारा उपरोक्त में पंजिबद्ध किया जाकर अनुसन्धान शुरू किया गया। दौराने अनुसन्धान प्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार ऑचलिया व गवाहान श्री शंकरलाल हैड कानि 598, रिपुदमनसिंह नसिंह कानि0 247, लोकेश जोशी प्रर्वतन अधिकारी डीएसओ, जीवनसिंह राजपुत, सुरेश जोशी, योगेश गायरी के कथन लेखबद्ध किये गये। फर्द जब्ती पेट्रोलियम तरल पदार्थ लोहे की टंकी मय नोजल पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 मुर्तिबशुदा शामिल पत्रावली किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब किया गया। हल्का पटवारी नेगडिया से घटनास्थल का रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रेस प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किया गया। मामला हाजा में जब्त वाहन पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 के रजिस्ट्रर्ड वाहन स्वामी श्रवण कुमार पिता बाबुलाल गाडोलिया लौहार निवासी मांगथला ने दौहराने अनुसंधान नोटेरीशुदा ईकरारनामा वाहन ठेका पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 पेश किया जिस पर ईकरानामा वाहन ठेका का अवलोकन करने पर मामला हाजा में जब्त वाहन उक्त जरिये ईकरारनामा वाहन ठेका से मुल्जिम इन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपुत को सिपुर्द करना पाया गया है। वर्तमान में मामला हाजा में जब्त वाहन पीकअप नमबर आरजे 27 जीए 6746 मुल्जिम इन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपुत के कब्जे में होकर उपयोग कर रहा है। मुल्जिमान इन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपुत व अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत से गहन पुछताछ की जाकर अपने वैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

08-02-22

गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा मन् अनुसंधानकर्ता को दौहराने अनुसंधान दी स्वैच्छिक सूचनानुसार फर्द मौका स्थल मुर्तिब कर संलग्न पत्रावली किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण को न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश फरमाने से ज0सी0 वारण्ट प्राप्त कर जिला कारागृह राजसमन्द में जमा करा जमा रसीद प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किया गया। अभियुक्तगण वर्तमान में माननीय न्यायालय से जमानत पर आजाद है। हर दोनों अभियुक्तगण का पुर्व का सजायाबी रिकॉर्ड प्राप्त कर संलग्न पत्रावली किया गया। श्रीमान जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम का खुलासा कराने पर श्रीमान द्वारा मामला हाजा में मोटर स्प्रिट हाई स्पीड डीजल (Regulation of supply, distribution and prevention of malpractices) ऑर्डर 2005 के Clause 3 के subclause 3(4),3(5),3(6), 3(7) एवं Clause 4 का उल्लघंन पाया जाता है जो कि स्वतः ईसी एक्ट 1955 के सेक्शन 3 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है जो ईसी एक्ट के सेक्शन 7 के अन्तर्गत दण्डनीय है अतः अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध धारा 3(4),3(5),3(6),3(7), 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम व धारा 420, 285 भादस का अपराध प्रमाणित है। प्रकरण हाजा में गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान इन्द्रसिंह पिता अमरसिंह मोजावत राजपुत उम्र 44 साल निवासी सिलाया माण्डक का गुडा पुलिस थाना देलवाडा जिला राजसमन्द (राज.) व अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 35 साल निवासी प्रेमपुरा पुलिस थाना कुंवारिया जिला राजसमन्द के खिलाफ अपराध धारा 3(4), 3(5),3(6), 3 (7), 4 आवश्यक वस्तु अधिनियम व धारा 420. 285 भादस का जुर्म प्रमाणित पाया गया है। अतः प्रकरण में बरामद पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 मय उसमे रखी लोहे की टंकी मय टंकी से झुडे हुए पाईप, इलेक्ट्रोनिक मीटर, नोजल व टंकी में भरे तरल पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त किया गया जाकर एफएसएल जांच हेतु एक नमुना सेम्पल को जरिये थाना हाजा के लेटर क्रमाक 2766 दिनाक 17.11.2021 से श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय राजसमन्द के अग्रेषण पत्र क्रमाक 24441–42 दिनाक 17. 11.2021 से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा करा रसीद क्रमांक RFSL(UDA)/6437/CAE/174/21 DATE–17.11.2021 प्राप्त की गयी व शेष बचा तरल पदार्थ पेट्रोलियम पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 मय उसमे रखी लोहे की टंकी मय टंकी से झूठे हुए पाईप, इलेक्ट्रोनिक मीटर, नोजल व टंकी में भरे तरल पदार्थ पेट्रोलियम 1697 लीटर जो उक्त लोहे की टंकी में भरा हो टंकी कही से लिकेज होने से टपक कर जमीन में रिसाव हो खत्म हो रहा है जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाना अतिआवश्यक है। अन्यथा उक्त शेष बचा तरल पदार्थ पेट्रोलियम टपक कर जमीन में रिसाव हो खत्म हो जायेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे जप्त मालखाना माल रसद विभाग को सिपुर्द कराकर निस्तारण कराने का आदेश कराना फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री प्रकाश बंजारा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई। तथा वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी।

प्रार्थी वाहन स्वामी श्रवणकुमार गाडोलिया लौहार पिता श्री बाबुलाल जी जाति गाडोलिया लौहार ने वाहन पिकअप संख्या आर जे 27 जी ए 6746 की सुपुर्दगी हेतु अपराध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 420, 285 आई पी सी एवं 3/7 ई सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वाहन छुड़ाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2022 को प्रार्थी श्रवणकुमार गाडोलिया लौहार पुत्र श्री बाबुलाल जी जाति गाडोलिया लौहार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 08.02.2022 को वाहन को छोड़ा गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी राजकीय अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि दिनांक दिनांक 02.11.2021 को एक पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 खडी थी पिकअप के अन्दर एक बड़ी लोहे की टंकी रखी हुई हो टकी में एक नोजल व इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होना पाया गया। पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 के अन्दर रखे लोहे के टंकी के लगे ढक्कन को खोलकर देखा तो टंकी के अन्दर पेट्रोलियम जैसा तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त तरल पदार्थ को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा देखने व सूंघने व परखने पर डीजल/पेट्रोल जैसा कंट्रोलियम अत्यन्त ही ज्वलनशील तरल पदार्थ भरा होना पाया गया। टंकी में भरे तरल पेट्रोलियम पदार्थ को लोहे के टंकी में लगे इलेक्ट्रोनिक नोजल से दुसरे 500-500 लीटर के 04 टंकीयों में खाली कर माप किया तो कुल 1700 लीटर तरल पदार्थ होना पाया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे जप्त मालखाना माल रसद विभाग को सिपुर्द कराकर निस्तारण कराने का आदेश कराना फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। यहां यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग अवैध कार्यो में किया जा रहा था तथा थानाधिकारी द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 0098/2021 का अध्ययन किया। एफआईआर के अनुसार अवैध रासायनिक पदार्थ जो कि मिलावटी डीजल पाया गया तथा पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 खडी थी जिनके अन्दर लोहे के टेंक हो उसके अन्दर तरल पदार्थ कैमिकल जैसा भरा होने का अन्देशा होने व संदिग्ध होने से व आसपास कोई नही होने से उक्त वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित खडी करवाया। तथा थाना परिसर देलवाड़ा पर उपस्थित श्री लोकेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक, डीएसओ राजसमन्द द्वारा भी उक्त तरल पदार्थ को निकालकर सुघने, देखने व छुने पर चिकनाई युक्त डीजल/पेट्रोल जैसा पेट्रोलियम तरल पदार्थ होना बताया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक 3/7 वस्तु अधिनियम 1955 व धारा 420. 285 भादस का उल्लघन पाया जाने से लोह की टंकी में भरे तरल पेट्रोलियम पदार्थ को लोहे के टंकी में लगे इलेक्ट्रोनिक नोजल से दुसरे 500-500 लीटर के 04 टंकीयों में खाली कर माप किया गया तो इस चारो टंकियो में कुल कुल 1700 लीटर तरल पदार्थ होना पाया जाने से उक्त पिकअप नम्बर आरजे 27 जीए 6746 मय उसमे रखी लोहे की टंकी मय टंकी से झुडे हुए पाईप, इलेक्ट्रोनिक मीटर, नोजल व टंकी में भरे तरल पेट्रोलियम पदार्थ को जप्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध तरल पट्रोलियम के भण्डारण व परिवहन हेतु कोई वैध दस्तावेज/अनुज्ञा प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अतः यहां यह स्पष्ट रूप से जाहिर आया है कि क्षैत्र में अवैध पट्रोल व डीजल का व्यवसाय करने वालो का समूह सक्रिय रूप से कार्यरत है। तथा अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री किया जाना न केवल मानव सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है अपितु इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का अन्यथा उपयोग किये जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिससे मानव स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सके। अतः बिना विक्रय संबंधी दस्तावेजो के अवैध तरल पदार्थ का विक्रय करना दस्तावेजो से प्रमाणित होता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा टंकी में संग्रहित कुल 1700 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 1700 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ मय समस्त अन्य सामान, जो उक्त कार्यावाही में जब्त किये गये है, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 1700 लीटर तरल रासायनिक पेट्रोलियम पदार्थ व समस्त अन्य सामान का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनायाः गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद